न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 17/2019

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

(1) श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री बुधाराम चौधरी उम्र 21 वर्ष (एफबीओ)–फर्म मैसर्स चौधरी किराणा एण्ड पोषाहार, सालोडी रोड, गांव–केरू, जिला–जोधपुर। निवासी–बालाजी कॉलोनी, गांव–केरू, जिला जोधपुर।

(2) श्री जगदीश चौधरी पुत्र श्री बुधाराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)–फर्म–मै. चौधरी किराणा एण्ड पोषाहार, सालोडी रोड, गांव–केरू, जिला जोधपुर। निवासी–बालाजी कॉलोनी, गांव केरू, जिला–जोधपुर।

(3) श्री प्रेमाराम पुत्र श्री चैना राम (पैकर्स/मालिक) फर्म–मैसर्स–किसान टी ट्रेडर्स, मैन बस स्टेण्ड, जोधपुर जैसलमेर हाईवे, गांव बम्बोर, तह. बालेसर, जिला जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 07.01.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गत चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म :– मैसर्स चौधरी किराणा एण्ड पोषाहार, सालोडी रोड, गांव–केरू, जिला जोधपुर स्थित प्रतिष्ठान में 500 ग्राम के 15 जार पैक (कुल 7.5 किग्रा) में चाय (किसान) आम जनता को विक्रय हेतु रखी थी। उक्त चाय (किसान) वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 400/– नगद देकर 2 किलोग्राम चाय (किसान) के 500 ग्राम के चार पैक जार खरीदे तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 2 किलोग्राम चाय (किसान) के 500–500 ग्राम चारों पैक जार पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1969 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1969 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1969 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि चाय (किसान) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1969 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस/09/एक्ट/2019/63 दिनांक 18.01.2019 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (किसान) के लेबल पर "Date of Mfg./Pkg. Not given. Contravention of Regulation No. 2.2.1(9) of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulation, 2011" होने के कारण उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द

मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1969 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उसने उक्त खाद्य पदार्थ चाय (किसान) की पैकेजिंग एवं लेबलिंग में रही नियमानुसार रही रही कमियों को स्वीकार किया साथ ही निवेदन किया है कि उससे यह गलती पहली बार अनजाने में हुई है तथा उसने पैकेजिंग एवं लेबलिंग रही कमियों को सुधार लिया है। अतः प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाकर निर्णय फरमावें। भविष्य में वह खाद्य पदार्थ विक्रय के समय नियमों का ध्यान रखेगा।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट एलएस/09/एक्ट/2019/63 दिनांक 18.01.2019 का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को सुनने के बाद मनन के पश्चात पाया की लैबोरेट्री की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2019 में वर्णित अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (किसान) के लेबल पर "Date of Mfg./Pkg. Not given. Contravention of Regulation No. 2.2.1(9) of Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulation, 2011" होने के कारण उपरोक्त खाद्य पदार्थ का मिथ्याछाप होना पाया है। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 18.01.2019 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर शास्ती रूपये 10000 अक्षरे रूपये दस हजार तथा अप्रार्थी संख्या 3 पर शास्ती रूपये..10000 अक्षरे रूपय दस हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 06.08.2019 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें तथा एक माह में राशि नहीं कराने पर एफएसओ अभिहित अधिकारी के माध्यम से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा नियत तिथी में शास्ती राशि जमा नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के मार्फत भू–राजस्व की तरह वसूली की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2019/1608–12 दिनांक :–06.08.2019

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर।
2. श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अधिकारी जोधपुर (राज.) को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना निश्चित समयावधि में सुनिश्चित करें।
3. श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री बुधाराम चौधरी उम्र 21 वर्ष (एफबीओ)–फर्म मैसर्स चौधरी किराणा एण्ड पोषाहार, सालोडी रोड, गांव–केरू, जिला–जोधपुर।
4. श्री जगदीश चौधरी पुत्र श्री बुधाराम चौधरी (एफबीओ/मालिक)–फर्म–मै. चौधरी किराणा एण्ड पोषाहार, सालोडी रोड, गांव–केरू, जिला जोधपुर।
5. श्री प्रेमाराम पुत्र श्री चैना राम (पैकर्स/मालिक) फर्म–मैसर्स–किसान टी ट्रेडर्स, मैन बस स्टेण्ड, जोधपुर जैसलमेर हाईवे, गांव बम्बोर, तह. बालेसर, जिला।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
शहर, जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2019.08.21 15:54:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: